

प्रेषक:

संयुक्त शिक्षा निदेशक(सदस्य समिति)
साहारनपुर मण्डल, साहारनपुर।

सेवा में,

रजि.नं.
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2, समुदाय केन्द्र,
पीठ निहार - नई दिल्ली

पत्रांक: सओए/एनओ/सीओ/

/2013-2014 दिनांक 06/02/2014

विषय: बिल क्लिन्टन स्कूल, रामपुर मनिहारन (साहारनपुर) को सीओवीएएसआई, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शरानादेश संख्या-1916/15-7-09-(299) /2007 शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 14.07.2009 के द्वारा पठित मण्डलीय समिति को बिल क्लिन्टन स्कूल, रामपुर मनिहारन (साहारनपुर) को सीओवीएएसआई, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्मादेशित प्रतिवेदनो के अधीन आपत्ति नहीं है -

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भेदाधीन बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा-राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी तथा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इन्वेलोपमेंशन नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने की दशा में पूर्व से अन्य परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5- संस्था को उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व से मान्यता प्राप्त होने के सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छिपाया गया हो तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 6- संस्था के शैक्षिक एवं शिष्टाचार कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनु-न्य वेतनमानों तथा अन्य कर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 7- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनु-न्य सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 8- राज्य-सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 9- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओं में रखा जायेगा।

Jush
PRINCIPAL
BILL CLINTON SCHOOL
Ramrati Education Complex,
Rampur Maniharan,
Saharanpur (U.P.)

[Signature] 02
MANAGER
BILL CLINTON SCHOOL
Ramrati Education Complex,
Rampur Maniharan,
Saharanpur (U.P.)

73 -

(८)

- 10- विद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूगर्भ/भवन में ही विद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है, अन्यत्र किसी भी भूगर्भ/भवन में संचालित होने वाले विद्यालय अथवा शाखा हेतु उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- 11- उक्त शर्तों में मण्डलीय समिति/राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की नूक या शिथिलता जरूरी मयी है तो मण्डलीय समिति द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(श्रीमती मंजु शर्मा)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर। /

सदस्य सचिव, मण्डलीय समिति।

पू0सं0: रा0पुर/एन0ओ0सी0/ 6169-22 /2013-2014 तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शारंग, मध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ।
- 2- आगुक्त (अध्यक्ष मण्डलीय समिति) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को समिति द्वारा तिये गये निर्णय के अनुपालन में।
- 3- जिलाधिकारी (सदस्य, मण्डलीय समिति) सहारनपुर।
- 4- शिक्षा निदेशक (गा0), उत्तर प्रदेश, 18-पार्क रोड, लखनऊ।
- 5- जिला विद्यालय निरीक्षक (सदस्य मण्डलीय समिति) सहारनपुर।
- 6- प्रबन्धक, बिल विकटन स्कूल, रामपुर मनिहारन (सहारनपुर)।
- 7- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित पत्रावली पर।

(श्रीमती मंजु शर्मा)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर। /

सदस्य सचिव, मण्डलीय समिति।

11/3/2014 5:50:00 PM

PRINCIPAL
BILL CLINTON SCHOOL
Ramrati Education Complex,
Rampur Maniharan,
Saharanpur (U.P.)

MANAGER
BILL CLINTON SCHOOL
Ramrati Education Complex,
Rampur Maniharan,
Saharanpur (U.P.)